App A

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत – सब डिविजनल ऑफिसर मुकाम – फुलियाकलां

बनाम

किस्म मुकदमा – 53, 88, 92क 188 आर टी एक्ट प्रकरण संख्या – 11/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील से जारी हुए
10.03.2021	वकील वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 92क, 188 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया। वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते विपक्षीगण की तलबी हेतु दिनांक 07.05.2021 को पेश हो। 7/5/21 पत्रावली पेश हुई। समय पक्ष उपस्थित। P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त / बाहर पधारे / अभियान में पधारे / अवकाश में हैं। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 12/8/21 को पेश हो। कोविड-19 12/8/21 पत्रावली पेश हुई। समय पक्ष उपस्थित। P.O. सा. अन्य कार्य में व्यस्त / बाहर पधारे / अभियान में पधारे / अवकाश में हैं। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 10/11/21 को पेश हो। PO साहब प्रशासन गांवों अभियान 22.11.2021 पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम कनेछनकलां में पैश हुई। वादीगण स्वयं ने शिविर में उपस्थित होकर इस मौजूदा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 92क, 188 आर.टी.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए, इसी आशय का एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में इस वादपत्र अन्तर्गत घोषणा, दुरूस्तिकरण, स्थाई निषेधाज्ञा आदि में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने से वादपत्र वादी को इसी स्तर पर प्रत्याहरित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी फुलियाकलां (भील.)	NOT PRESS

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajnesh Meena
Date: 2021.12.02 11:44:33 IST
Reason: SelfAttested